न्यायालय श्री नरेश कुमार मालव, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 84/2016

सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. सीताराम पुत्र श्रीकिशन, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–फतेहपुरा, तहसील–जयपुर।
2. रामभजन पुत्र गंगासहाय, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–फतेहपुरा, तहसील–जयपुर।
3. रामू पुत्र दुर्गाप्रसाद, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–फतेहपुरा, तहसील–जयपुर।
4. भूरी पत्नी स्व0 रामसहाय, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–फतेहपुरा, तहसील–जयपुर(फौत)
   4/1 कैलाश पुत्र स्व0 रामसहाय, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–फतेहपुरा, तहसील–जयपुर।
   4/2 कमला पुत्री स्व0 रामसहाय पत्नी स्व0 मदनलाल शर्मा, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–सॉगा बाबा के मन्दिर के पास, राधाबल्लभ मार्ग, जोशियो का मौहल्ला, सांगानेर, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
   4/3 ज्यानकी पुत्री स्व0 रामसहाय पत्नी लल्लूलाल शर्मा, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–गोदावरी नगर, बालाजी के मन्दिर के पीछे, नीमेड़ा, जयपुर।
   4/4 पार्वती पुत्री स्व0 रामसहाय पत्नी प्रभुनारायण शर्मा, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–प्लाट नं0–70, पटेल नगर, सिंवार मोड़ (बिन्दायका) तहसील–जयपुर।
   4/5 आंची पुत्री स्व0 रामसहाय पत्नी जगदीशनारायण शर्मा, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–मार्फत पूनाराम कोली का मकान, मकान नं0 ए–31, पटेल नगर, सिंवार मोड़ (बिन्दायका) तहसील–जयपुर।
   4/6 संतोष पत्नी बाबूलाल शर्मा, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–बी–22, पटेल नगर, सिंवार मोड (बिन्दायका), तहसील–जयपुर।
   4/7 कान्ता पुत्री स्व0 रामसहाय पत्नी स्व0 संजय कुमार शर्मा, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–मकान नं0–85, पटेल नगर, सिंवार मोड (बिन्दायका), जयपुर।
5. कैलाश पुत्र स्व0 रामसहाय, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–फतेहपुरा, तहसील–जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :–

1. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय — दिनांक : 29.10.2018

तहसीलदार, जयपुर द्वारा यह निवेदन किया गया हैं कि ग्राम–फतेहपुरा की आराजी खसरा नं0 181 रकबा 02 बीधा 14 बिस्वा, आ0ख0नं0 185 रकबा 05 बीधा 01 बिस्वा, आ0ख0नं0 186 रकबा 04 बिस्वा, आ0ख0नं0 187 रकबा 08 बिस्वा कुल किता 04 रकबा 08 बीधा 07 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी बहतमाम पुजारी दुर्गाप्रसाद जीवणराम पि0 गोविन्दराम, जाति–ब्राहम्ण साकिन देह प्राचीनकाल देन ठिकाना माफीदार मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में दर्ज

थी जो कालान्तर में बिना किसी वैध आदेश के माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी बहतमाम पुजारी दुर्गाप्रसाद जीवणराम पि0 गोविन्दराम, जाति–ब्राहम्ण साकिन देह प्राचीनकाल देन ठिकाना माफीदार खुदकाश्त माफीदार के बजाय वर्तमान में सीताराम वगैराह अप्रार्थी के नाम दर्ज हो गई जो पुनः माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी बहतमाम पुजारी दुर्गाप्रसाद जीवणराम पि0 गोविन्दराम, जाति–ब्राहम्ण साकिन देह प्राचीनकाल देन ठिकाना खुदकाश्त माफीदार के नाम दर्ज की जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी के फौतगी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कायमी–मुकामान को रिकार्ड पर लिया गया। नोटिस जारी किये गये बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर ने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 के कॉलम सं0 04 नाम उपभोक्ता पिता का नाम जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी बहतमाम पुजारी दुर्गाप्रसाद जीवणराम पि0 गोविन्दराम, जाति–ब्राहम्ण साकिन देह प्राचीनकाल देन ठिकाना माफीदार व कॉलम सं0 05 नाम कृषक पिता का नाम जाति व निवास स्थान श्रेणी कृषक व कृषि काल में खुदकाश्त माफीदार दुर्गाप्रसाद वगैराह दर्ज थी जो बिना किसी वैध आदेश के अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये अप्रार्थी सीताराम पुत्र श्रीकिशन हि0 1/6 रामभजन पुत्र गंगासहाय हि0 1/6, रामू पुत्र दुर्गाप्रसाद हि0 1/6 मु0 भूरी विधवा रामसहाय कैलाश पुत्र रामसहाय हि0 1/2 जाति–ब्राहम्ण, साकिन देह के नाम हस्तानान्तरित कर दी गई हैं, मन्दिर की खुदकाश्त आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया गया है जो अनुचित हैं और बिना वैध व बिना सक्षम आदेशों के शाश्वत नाबालिग की खुदकाश्त आराजी का किया गया हस्तानान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। अतः विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी बहतमाम पुजारी दुर्गाप्रसाद जीवणराम पि0 गोविन्दराम, जाति–ब्राहम्ण साकिन देह प्राचीनकाल देन ठिकाना माफीदार खुदकाश्त माफीदार के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

हमने विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2015–2034 में माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी बहतमाम पुजारी दुर्गाप्रसाद जीवणराम पि0 गोविन्दराम, जाति–ब्राहम्ण साकिन देह प्राचीनकाल देन ठिकाना माफीदार खुदकाश्त माफीदार के नाम दर्ज हैं और वादग्रस्त आराजी की [illegible] के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति शाश्वत अवयस्क हैं। माफी के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाबिज भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी बहतमाम पुजारी दुर्गाप्रसाद जीवणराम पि0 गोविन्दराम, जाति–ब्राहम्ण साकिन देह प्राचीनकाल देन ठिकाना माफीदार खुदकाश्त माफीदार की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा–काश्त भी की गई हैं तो वह मूर्ति का कब्जा–कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रश्नगत् प्रकरण में तो स्पष्ट रूप से वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी बहतमाम पुजारी दुर्गाप्रसाद जीवणराम पि0 गोविन्दराम, जाति–ब्राहम्ण साकिन देह प्राचीनकाल देन ठिकाना माफीदार खुदकाश्त माफीदार दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में किसी काबिज–काश्तकार की प्रविष्टि को अन्यथा रूप से दोहराने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। इस प्रकार नियमों के विपरित माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी बहतमाम पुजारी दुर्गाप्रसाद जीवणराम पि0 गोविन्दराम, जाति–ब्राहम्ण साकिन देह प्राचीनकाल देन ठिकाना माफीदार खुदकाश्त माफीदार की भूमि का इन्द्राज विभिन्न प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 में निजी खातेदारी सीताराम वगैराह अप्रार्थी के नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं। अतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी बहतमाम पुजारी दुर्गाप्रसाद जीवणराम पि0 गोविन्दराम, जाति–ब्राहम्ण साकिन देह प्राचीनकाल देन ठिकाना माफीदार खुदकाश्त माफीदार के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को दिनांक 18.12.2018 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया है।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

29/10/18

(नरेश कुमार मालव)

अति. कलक्टर (द्वितीय)

जयपुर